न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 01/12 निर्णय दिनांकः 27-5-2022
(जीसीएमएस संख्या 2012/00076)

1. मु. बाली बेवा धूड़ाराम
2. सुरजाराम पुत्र धूड़ाराम
   जाति मेघवाल निवासी ग्राम पलाना तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. मेघाराम पुत्र सांवताराम(फौत) जाति मेघवाल निवासी पलाना तहसील व जिला बीकानेर।
2. गंगा बेवा खेताराम
3. रेवन्तराम
4. रामचन्द्र
5. सुखदेव
6. रामरख

   जाति जाट निवासीगण पलाना तहसील व जिला बीकानेर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
8. मोडाराम
9. पानी
10. मूली

    पिसरान बेगाराम जाति मेघवाल निवासी पलाना तहसील व जिला बीकानेर।
11. मांगीलाल पुत्र मु. फूसी पुत्री बेगाराम
12. मनोहरी बेवा उमाराम(फौत)
13. रूपा दत्तक पुत्र उमाराम
    जाति मेघवाल निवासी पलाना तहसील व जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 21–06–2007
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री धन्ने सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश दिनांक 21–06–2007 जिसके द्वारा अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम पलाना के गत् खेत खसरा नम्बर 520/85 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 498/86 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 592/86 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 324 रकबा 31 बीघा 7 बिस्वा जिसके सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 560 रकबा 5.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 668 रकबा 23.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 670 रकबा 6.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 1151 रकबा 2.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.14 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1253 रकबा 2.48 हेक्टर भूमि कुल 40.55 हेक्टर भूमि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट्स का विगत् 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बरों में से खसरा नम्बर 670 रकबा 4.50 हेक्टर व खसरा नम्बर 1352/670 रकबा 1.53 हेक्टर भूमि गलत रूप से रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 ता 6 के नाम दर्ज हो गई, जबकि उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 का कोई सरोकार नहीं है। उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा रिकार्ड तैयार करते हुए गलती के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के नाम दर्ज हुई है। इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने के अपीलांट्स अधिकारी होने से ही

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गइ थी। जिस पर अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि प्रकरण में यह निर्विवाद कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के धारण व कब्जे काश्त की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट्स के पक्ष में साबित है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के हक वहकूकों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसीस्थिति में यदि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ तथा मुकदमें की आवृति बढ़ेंगी। उक्त तमाम तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि बिन्दुओं पर विधि विरूद्व तरीके से विवेचना किये जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् दावे के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2003 पार्ट I पेज 699 व आरआरटी 2003 पार्ट II पेज 1353 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

3. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स जिस भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग कर रहे है उक्त भूमि अपीलांट्स के धारण व कब्जे काश्त की भूमि नहीं होकर रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि है। अपीलांट्स अपने कब्जे काश्त के विपरीत जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जिसकी कानून कतई अनुमति

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रदान नहीं करता है। अपीलांट्स अदालत मातहत के समक्ष यह कथन करते हुए आये है कि वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट विभाग कीगलती के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के नाम दर्ज हो गई है, परन्तु अपीलांट्स द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे अपीलांट्स के इस कथन को कोई बल प्राप्त होता हो कि उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग की त्रूटि के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के नाम दर्ज की गई है। जबकि उक्त भूमि रेस्पाडेन्ट्स की खातेदारी भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट्स काबिज काश्त है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती नाही उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द ही किया जा सकता है। अपीलांट्स द्वारा रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर ही अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विस्तृत विवेचन अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा मिथ्या कथनों पर अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

5. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना का आधार यह लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पलाना के गत् खेत खसरा नम्बर 520/85 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 498/86 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 592/86 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 324 रकबा 31 बीघा 7 बिस्वा जिसके सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 560 रकबा 5.99

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हेक्टर, खसरा नम्बर 668 रकबा 23.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 670 रकबा 6.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 1151 रकबा 2.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.14 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1253 रकबा 2.48 हेक्टर भूमि कुल 40.55 हेक्टर भूमि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त खसरा नम्बरों में से खसरा नम्बर 670 रकबा 4.50 हेक्टर व खसरा नम्बर 1352/670 रकबा 1.53 हेक्टर भूमि गलत रूप से रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 ता 6 के नाम दर्ज हो गई, जबकि उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 का कोई सरोकार नहीं है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 का कथन कि उक्त भूमि उनकी खातेदारी भूमि है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करते समय यह पाया गया कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाये है, इसी प्रकार सुविध के संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु को तय करते हुए अभिलिखित किया गया है कि चूंकि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त की भूमि है यदि उक्त भूमि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वाद की प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार अदालत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अपीलांट्स के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। प्रकरण में अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष भी दस्तावेजी साक्ष्य यथा सूची नम्बर 4 व मिलान क्षेत्रफल आदि के माध्यम से सेटलमेंट विभाग की त्रूटि व वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों को प्रथम दृष्टया साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना युक्तियुक्त नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर अपना विवेचन अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–06–2007 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 27/5/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते